

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

भूरा विपक्षी राज्य  
 मुकदमा नं० पत्रावली संख्या 271/07 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>18/12/24                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-सहायकी जिरत                      के लिये मौका चाहते है। अतः                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 21/12/25                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>21/12/25 पत्रावली पेज हुई अधि. वादी उप. / अधि.                      वादी द्वारा उर्थन पत्र 022R3CPC सपडित धाका/जरी.                      पेज किया गया / 21. का रई। पत्रावली वरत                      धा. पत्र 022R3CPC दिनांक 21/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>21/12/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-सहायकी धा. पत्र 022R3CPC                      के लिये मौका चाहते है। अतः                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/17/25                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>16/17/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-सहायकी धा. पत्र 022R3CPC                      के लिये मौका चाहते है। अतः                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/18/25                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p> <p>6/18/25 पत्रावली पेज हुई अधि. वादी एवं उप-परीगार उप.                      E.O. शगर पालिका सवाड फलदगर को जवाब                      हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली वरत                      दिनांक 18/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	



12/9/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 15/10/25 को पेश हो।  
Dio

15/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय  
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण  
मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवजे  
दिलवाई गई। समय साँय 2:00 PM हो चुके हैं।  
अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब तक  
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय  
स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण  
का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार लेकर  
नम्बर से कम हों।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) मऊ

फिराफ (002)